न्यायालयः न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरदारशहर जिला चूरू (राज.)

पीठासीन अधिकारी	:	**निधि बेनीवाल, आर.जे.एस.**
फौजदारी मूल प्रकरण संख्या	:	558/2015
सी.आई.एस. संख्या	:	133/2015
सी.एन.आर. संख्या	:	RJCH130006982015

(10 वर्ष पुराना प्रकरण)

डालनाथ पुत्र रामुनाथ, निवासी ग्राम बादड़िया, तहसील सरदारशहर जिला चूरू (राज.)

–– परिवादी

ब ना म

सुभाषचंद्र पुत्र केसराराम, निवासी नायकों का बास, ग्राम सोमासी, पोस्ट झारीया तहसील व जिला चूरू (राज.)

–– अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम

उपस्थितः–

1. श्री अमित सैनी, विद्वान अधिवक्ता, परिवादीगण की ओर से।
2. श्री मोहसीन सांखला, विद्वान अधिवक्ता, अभियुक्त की ओर से।

– निर्णय – **दिनांकः 30 मार्च, 2026**

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि, परिवादी डालनाथ ने अभियुक्त सुभाषचंद्र के विरुद्ध एक परिवाद इस आशय का पेश किया कि, परिवादी विद्युत टावर (पॉल) निर्मण का कार्य करता है तथा अभियुक्त सुभाषचंद्र विद्युत पॉल निर्माण कार्य उप ठेके पर लेकर अपने मजदूरों से करवाता है। एक व्यवसाय से जुड़े होने के कारण दोनों आपस में परिचित व जानकार होने के चलते दोनो में अच्छे व विश्वासजनक संबंध होने से अभियुक्त ने दिनांक 05.06.2015 को ग्राम बादडिया तहसील सरदारशहर में परिवादी के घर आकर अपनी घरेलू जरूरत पूर्ति एवं परिवादी की विद्युत पॉल साईट पर मजदूर उपलब्ध करवाने का आश्वासन देकर उससे कुल 1,50,000/– रुपये एक माह के लिए नगद उधार प्राप्त किये। परिवादी नियत तिथित में उक्त रुपयों की मांग करने पर उक्त राशि की अदायगी पेटे अभियुक्त ने भारतीय स्टेट बैंक, शाखा मैन मार्केट, चूरू में स्थित अपने खाता का एक चैक संख्या 009733 दिनांक 11.07.2015, राशि 1,50,000/– रुपए का परिवादी के नाम से भरकर

अपने हस्ताक्षरों से जारी कर परिवादी के सुपुर्द किया। दिनांक 15.07.2015 को परिवादी द्वारा भुगतान प्राप्त करने हेतु उक्त चैक अपने खाता की बैंक – भारतीय स्टेट बैंक शाखा सरदारशहर में प्रस्तुत किया गया, जो कि अभियुक्त के खाता में पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण Funds Insufficient के पृष्ठांकन के साथ अनादरित कर बिना भुगतान किये परिवादी को वापिस लौटा दिया गया। परिवादी की ओर से जरिये वकील दिनांक 24.07.2015 को रजिस्टर्ड डाक से अभियुक्त को नोटिस भेजा गया, जो अभियुक्त को प्राप्त हो गया है। नोटिस दिये जाने के पश्चात् नियत अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी अभियुक्त द्वारा चैक में वर्णित राशि का भुगतान परिवादी को नहीं किया, इत्यादि। परिवादी की ओर से स्वयं के परिवाद पत्र के समर्थन में सरसरी सबूत के रूप में स्वयं का शपथ पत्र पेश किया गया।

2. उक्त परिवाद के आधार पर बहस प्रसंज्ञान सुनकर अभियुक्त सुभाषचंद्र के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना पाये जाने पर अभियुक्त के विरुद्ध धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

3. पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य सामग्री के आधार पर अभियुक्त रमेश को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अपराध का आरोप बनने पर आरोप सारांश की विशिष्टियां मौखिक रूप से सुनायी व समझायी गयी तो अभियुक्त ने आरोप अस्वीकार कर प्रतिरक्षा चाही।

4. परिवादी ने अपने परिवाद के अभिवचनों के समर्थन में निम्न गवाह को परीक्षित करवाया है–

क्र.सं.	गवाह का नाम	गवाह संख्या
1.	डालनाथ	पी.डब्ल्यू.–1

5. परिवादी ने अपने परिवाद के अभिवचनों के समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्शित करवाई हैः–

क्र.सं.	दस्तावेज का नाम	प्रदर्श संख्या
1.	असल चैक	प्रदर्श पी–1

2.	चैक जमा पर्ची	प्रदर्श पी–2
3.	रिटर्न मैमो	प्रदर्श पी–3
4.	कानूनी नोटिस	प्रदर्श पी–4
5.	मूल रजिस्ट्री रसीद	प्रदर्श पी–5
6.	मूल प्राप्ति रसीद	प्रदर्श पी–6

6. अभियुक्त की परीक्षा अन्तर्गत धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत की गयी, जिसमें अभियुक्त ने कथन किए कि, 'वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया है। वह डालनाथ के पास सन् 2013 से 2014 तक मजदूरी का काम करता था। उस दौरान डालनाथ ने उसका खाता खुलवाया था और उसी खाता की चैक बुक जारी करवाकर उससे चैक बुक के कुछ चैकों पर यह कह कर हस्ताक्षर करवाए थे कि वह उसके घरवालों को जरूरत के अनुसार मजदूरी के रूपए उसके खाता में जमा करवाकर उनको भुगतान हेतु उसका चैक देता रहेगा, परंतु 2014 में उसने डालनाथ के गलत व्यवहार के चलते, डालनाथ के पास मजदूरी करने से मना कर दिया, तब डालनाथ मुझ पर दवाब बनाने के लिए हस्ताक्षरित चैकों में से उक्त चैक का गलत व अवैध तरीके से दुरुपयोग कर यह मुकदमा किया है।' अभियुक्त ने साक्ष्य सफाई पेश करना चाहा।

7. साक्ष्य सफाई में अभियुक्त ने अपने बचाव में निम्न गवाह को परीक्षित करवाया है–

क्र.सं.	**गवाह का नाम**	**गवाह संख्या**
1.	सुभाषचंद्र	डी.डब्ल्यू.–1
2.	इंद्राज	डी.डब्ल्यू.–2
3.	विजय सिंह	डी.डब्ल्यू.–3

8. न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दू यह है कि–

(A) **"क्या अभियुक्त की परिवादी के साथ जान–पहचान होने के कारण अभियुक्त ने परिवादी से राशि 1,50,000/– रुपये नगद उधार प्राप्त की थी, जिसकी अदायगी पेटे अभियुक्त ने परिवादी को एक चैक संख्या 009733 दिनांकित 11.07.2015, राशि 1,50,000/– रुपए बैंक –**

भारतीय स्टेट बैंक, शाखा मैन मार्केट, चूरू का अपने हस्ताक्षर कर परिवादी को दिया।

(B) **क्या उक्त चैक परिवादी द्वारा आहरण हेतु बैंक में पेश करने पर "Funds Insufficient" की टिप्पणी के साथ अनादरित हो गया।**

(C) **जिसकी सूचना परिवादी द्वारा दिनांक 24.07.2015 को जरिए रजिस्टर्ड डाक द्वारा करने पर भी अभियुक्त ने विधि द्वारा विहित अवधि में चैक मे वर्णित राशि का भुगतान नहीं किया।**

(D) **क्या परिवादी पक्ष द्वारा समयावधि के अन्दर न्यायालय में परिवाद पेश किया।'' यदि हां तो उपयुक्त दंडादेश क्या होगा ? ''**

9. बहस उभय पक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता परिवादी ने अपनी बहस में तर्क दिया कि परिवादी ने अपने परिवाद को दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य द्वारा युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया है। परिवादी द्वारा प्रेषित किये गये नोटिस का कोई जवाब बचाव पक्ष की ओर से नहीं दिया गया है। अभियुक्त द्वारा अपने बचाव में किसी प्रकार की कोई संपुष्टिकारक एवं ठोस साक्ष्य पेश नहीं की है। उक्त आधारों पर विद्वान अधिवक्ता परिवादी ने अभियुक्त को दोषसिद्ध करने का निवेदन किया।

जबकि, इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने अपनी बहस में उक्त तर्कों का खण्डन करते हुए न्यायालय के समक्ष यह तर्क रखा कि, परिवादी द्वारा हस्तगत परिवाद अभियुक्त के विरुद्ध झूठे आधारों पर पेश किया गया है, जबकि अभियुक्त द्वारा परिवादी से कभी भी 1,50,000/– रुपए की राशि उधार नहीं ली गई थी, अभियुक्त का प्रश्नगत चैक परिवादी ने उसका खाता बैंक में खुलवाया था, उसकी चैक बुक परिवादी ने रख ली थी तथा खाली चैक भरकर न्यायालय में पेश कर दिया। परिवादी द्वारा प्रश्नगत चैक गलत तरीके से बैंक में पेश कर हस्तगत प्रकरण झूठे आधारों पर न्यायालय के समक्ष पेश किया है। परिवादी द्वारा अभियुक्त के चैक का दुरूपयोग किया गया है। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया।

10. उपरोक्त विचारणीय बिन्दू A तथा B के संबंध में पत्रावली पर आई साक्ष्य तथा विद्वान् अधिवक्ता उभय पक्ष द्वारा अपनी बहस में दिए गए तर्कों के मनन के पश्चात् न्यायालय को यह देखना है कि क्या परिवादी ने यह साबित किया है कि अभियुक्त की परिवादी के साथ जान–पहचान होने के कारण अभियुक्त ने परिवादी से राशि उधार प्राप्त की थी, जिसकी अदायगी पेटे अभियुक्त ने परिवादी को एक चैक संख्या 009733 दिनांकित 11.07.2015 राशि 1,50,000/– रुपए, बैंक – भारतीय स्टेट बैंक, शाखा मैन मार्केट, चूरू का अपने हस्ताक्षर कर परिवादी को दिया, जो "Funds Insufficient" के नोट के साथ अनादरित हो गया। इस संदर्भ में पत्रावली पर आई साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादी पी.डब्ल्यू.–1 डालनाथ ने अपने परिवाद व मुख्य परीक्षा में पेश शपथ पत्र में पूर्व वर्णित कथन निर्णय के पैरा संख्या–1 को अभिकथित करते हुए इसके समर्थन में चैक प्रदर्श पी–1 तथा बैंक रिटर्न मीमो प्रदर्श पी–3 को पेश कर प्रदर्शित करवाया है। बैंक रिटर्न मीमों प्रदर्श पी–3 के अवलोकन से स्पष्ट है कि इसमें चैक अनादरण का कारण "Funds Insufficient" बताया गया है।

11. उक्त विचारणीय बिन्दू के संबंध में न्यायालय को यह देखना है कि क्या अभियुक्त अपनी बचाव साक्ष्य द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 118 व 139 में वर्णित उपधारणाओं का खण्डन करने में सफल हुआ है?

यह उल्लेखनीय हैं कि अभियुक्त द्वारा पत्रावली पर इस आशय की कोई साक्ष्य पेश नहीं की है, जिससे यह प्रमाणित होता हो कि प्रश्नगत चैक प्रदर्श पी–1 पर अभियुक्त के हस्ताक्षर नहीं हो, इसलिए जहां प्रश्नगत चैक पर अभियुक्त के हस्ताक्षर होने का तथ्य प्रमाणित है, वहां पर परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 118 में चैक धारक के पक्ष में यह विधि है कि न्यायालय को यह उपधारित करना होगा कि अभियुक्त द्वारा विवादित चैक प्रतिफलार्थ बाबत् रचित किया गया था। इसी प्रकार धारा 139 के तहत यह उपधारित करना होगा कि चैक धारक ने धारा 138 में निर्दिष्ट प्रकृति का चैक किसी ऋण या दायित्व के पूर्ण रूपेण निर्वहन करने के लिए चैक प्राप्त किया था। इस संबंध में माननीय उच्चत्तम न्यायालय द्वारा अति महत्वपूर्ण न्यायिक दृष्टांत के. भास्कर बनाम शंकरन विधाबालन व अन्य 1999(7) एन.सी.सी. 510 में उपधारणा के संबंध

में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि जब चैक पर अभियुक्त द्वारा हस्ताक्षर किया जाना प्रमाणित हो जाता है, तब धारा 118 परक्राम्य लिखत अधिनियम में वर्णित उपधारणा आकृष्ट होगी कि चैक पर जो तारीख वर्णित है, वह उसी तारीख को रचित किया गया था व चैक प्रतिफलार्थ बाबत लिखा गया था तथा धारा 139 परक्राम्य लिखत अधिनियम न्यायालय पर यह भार डालती है कि वह उपधारणा करें कि चैक धारक ने ऋण या अन्य दायित्व के उन्मोचन हेतु चैक प्राप्त किया था। यद्यपि, उक्त सभी उपधारणा खण्डनीय प्रकृति की है। उपधारणा खण्डित करने का भार अभियुक्त पर है।

माननीय उच्चत्तम न्यायालय द्वारा निर्णीत प्रकरण रंगप्पा बनाम श्रीमोहन ए.आई.आर.2010 (एस.सी.) 1898 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि धारा 139 पराक्राम्य लिखत अधिनियम में चैक के धारक के पक्ष में उपधारणा को खण्डित करने का भार अभियुक्त पर है एवं अभियुक्त उपधारणा को खण्डन करने हेतु "सम्भावना बाहुल्यता" के द्वारा प्रमाणित कर सकता है, इसलिए यदि अभियुक्त "सम्भाव्य प्रतिरक्षा" उत्पन्न करते हुए विधि के प्रर्वतनीय ऋण या दायित्व के संबंध में संदेह उत्पन्न कर दे तो वहां परिवादी असफल होगा।

अतः परक्राम्य लिखत अधिनियम में चैक धारक के पक्ष में उपधारणाएं की गई है, लेकिन उक्त उपधारणा को अभियुक्त पत्रावली पर उपलब्ध परिवादी की साक्ष्य से या स्वयं साक्ष्य बॉक्स में आकर खण्डित कर सकता है, परन्तु यह खण्डन ठोस होना चाहिए ना कि मात्र डिनायल।

12. परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 118 व 139 के अधीन चैक के सम्यक अनुक्रम में धारक के पक्ष में जो उपधारणा की जाती है, उसके खंडन का भार अभियुक्त पर है और बचाव पक्ष द्वारा उक्त उपधारणा के खंडन के लिये यह प्रतिरक्षा ली गई कि "परिवादी ने उसका खाता खुलवाकर, चैक बुक अपने पास रख ली थी तथा बाद में अभियुक्त द्वारा उसके साथ काम करने से मना करने पर चैक बुक में से प्रश्नगत चैक निकालकर परिवादी द्वारा उक्त चैक का दुरूपयोग किया है।

13. विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष द्वारा दिये गये इन तर्को के सम्बन्ध में पत्रावली पर आई साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में

कथन किया है कि, वह खेती का काम करता है। उसने परिवाद में ए से बी लिखा हुआ है, वह सही लिखा है। उस समय ठेकेदारी का कार्य करता था। उस समय ठेकेदारी के दौरान उसके पास चार पॉच मजदूर कार्य करते थे। यह कहना गलत है कि सुभाष उसके पास मजदूरी का कार्य करता हो और उसी दौरान सुभाष के समस्त दस्तावेज चैक पास बुक उसके कब्जे में हो। यह कहना सही है कि अगर किसी अनजान व्यक्ति को रुपये उधार देते हे तो उसकी लिखापढ़ी करवाते है और किसी अन्य व्यक्ति को बीच में गारन्टर के तौर पर लेते है। अजखुद कहा कि सुभाष उसका परिचित था, इसलिए उसने कोई लिखापढ़ी या गारन्टर बीच में नहीं लिया। वह सुभाष को पिछले 14–15 साल से जानता है। यह कहना गलत है कि उस समय सुभाष के भाई की शादी हो और सुभाष उसके घर पर विवाह का कार्ड देने के लिए आया हो। इंद्राज को वह जानता है, इंद्राज सुभाष का भाई है। यह कहना गलत है कि इंद्राज ने उसे उक्त चैक का गलत व नाजायज रूप से दुरूपयोग करने पर औलमा दिया हो। अजखुद कहा कि उसके पास तो सुभाष ने पूरा चैक भरकर लाकर दिया था। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–2 उसके द्वारा नहीं भरी गई है। प्रदर्श पी–2 उसके द्वारा जमा करवाई गई है। यह कहना गलत है कि सुभाष उसके पास मजदूरी का काम करता हो और उसने ही सुभाष के बैंक खाता खुलवा कर उसकी पास बुक, हस्ताक्षरित चैक बुक अपने पास रख ली हो। यह कहना गलत है कि सुभाष द्वारा उसे छोड़कर किसी अन्य के पास मजदूरी करने लगा जिससे उसे नुकसान होने के कारण उसने आवेश में आकर सुभाष का उक्त चैक गलत रूप से दुरूपयोग कर अनादरित करवाया हो। यह कहना गलत है कि सुभाष ने कभी भी उससे रूपए उधार ना लिए हो और सुभाष को ब्लेकमेल करने के लिए वह, उससे नाजायज राशि वसूलने के लिए यह मुकदमा किया हो। यह कहना गलत है कि उसके पास सुभाष के हस्ताक्षरित पुरी चैक बुक पडी हो।

14. पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं उभय पक्षकारान के विरोधाभासी तर्कों पर मनन पश्चात् यहां यह उल्लेखनीय है कि परिवादी द्वारा अपने परिवाद पत्र व मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र में अभियुक्त के साथ जान–पहचान होने के आधार पर उसे 1,50,000/– रुपए की राशि नगद उधार दिये जाने का कथन किया है। परिवादी द्वारा इस बाबत् विस्तृत उल्लेख करते हुए यह अभिकथन किया है कि वह और अभियुक्त

एक ही व्यवसाय से जुड़े होने से वह एक–दूसरे को दो–तीन वर्षों से जानते है तथा उनके मध्य अच्छे व विश्वासजनक संबंध रहे है, जिस विश्वासजनक संबंधों के चलते उसके द्वारा अभियुक्त को 1,50,000/– रुपए की राशि अपने घर ग्राम बादडीया में नगद उधार दी गई थी। परिवादी द्वारा अपने परिवाद पत्र व मुख्य परीक्षा में पेश शपथ पत्र की ताईद दौराने प्रतिपरीक्षण भी पूर्ण रूप से की गई है। अभियुक्त का पत्रावली पर ऐसा कोई बचाव नहीं रहा है कि वह परिवादी को जानता ना हो, बल्कि स्वयं अभियुक्त सुभाषचंद्र अपने बयान मुलजिम के दौरान व न्यायालय के समक्ष गवाह डी.डब्ल्यू.–1 के रूप में साक्ष्य लेखबद्ध करवाने के दौरान यह स्पष्ट रूप से कथन करके आ रहा है कि, वह डालनाथ के पास मजदूरी का कार्य करता था। इस प्रकार पत्रावली पर यह निर्विवादित तथ्य है कि उभय पक्षकारान के मध्य अच्छी जान–पहचान थी तथा अभियुक्त, परिवादी का विश्वास पात्र था।

15. हस्तगत प्रकरण में बचाव पक्ष द्वारा परिवादी की वित्तीय हैसियत को भी किसी भी प्रकार से कोई चुनौती नहीं दी गई है। बचाव पक्ष द्वारा गवाह पी.डब्ल्यू.–1 डालनाथ से विस्तृत प्रतिपरीक्षा की गई है तथा दौराने प्रतिपरीक्षण उक्त गवाह को ना तो ऐसा कोई सुझाव दिया गया है तथा ना ही उक्त गवाह से ऐसा कोई प्रश्न किया गया है कि उसकी, अभियुक्त को 1,50,000/– रुपए की राशि नगद उधार दिये जाने की वित्तीय हैसियत ना हो। इस प्रकार जहां परिवादी की वित्तीय हैसियत के तथ्य का तात्विक रूप से खण्डन नहीं किया गया है, वहां पत्रावली पर यह तथ्य स्वतः ही साबित माना जाएगा कि परिवादी की अभियुक्त को 1,50,000/– रूपये उधार देने की वित्तीय हैसियत थी।

16. जहाँ तक उभय पक्षकारान के मध्य हुए तथाकथित संव्यवहार का प्रश्न है तो, परिवादी अपने परिवाद व मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख करके आ रहा है कि, अभियुक्त व परिवादी एक ही व्यवसाय से जुड़े होने के कारण वे आपस में परिचित व जानकार थे तथा दोनों के बीच अच्छे विश्वासजनक संबंध थे, जिसके चलते अभियुक्त ने दिनांक 05.06.2015 को ग्राम बादड़िया तहसील सरदारशहर अपने घर पर अपनी घरेलू जरूरत पूर्ति एवं परिवादी की विद्युत पॉल साईड पर मजदूर

उपलब्ध करवाने का आवश्वासन देकर परिवादी से 1,50,000/– रुपये एक माह के लिए नगद उधार प्राप्त किये। परिवादी पी.डब्ल्यू.–1 डालनाथ द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में किये गये कथनों की पुष्टि दौराने प्रतिपरीक्षण भी पूर्ण रूप से की है। परिवादी द्वारा किये गये उक्त कथनों का खण्डन बचाव पक्ष द्वारा दौराने प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया है। दौराने प्रतिपरीक्षण भी उक्त गवाह यह स्पष्ट रूप से कथन करके आ रहा है कि, वह खेती का काम करता है। उसने परिवाद में ए से बी लिखा हुआ है, वह सही लिखा है। उस समय ठेकेदारी का कार्य करता था। सुभाष उसका परिचित था, इसलिए उसने कोई लिखापढ़ी या गारन्टर बीच में नहीं लिया। वह सुभाष को पिछले 14–15 साल से जानता है। अजखुद कहा कि उसके पास तो सुभाष ने पूरा चैक भरकर लाकर दिया था। इस प्रकार परिवादी के बयानात के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उसके द्वारा अपने व अभियुक्त के मध्य हुए संव्यवहार की न्यायालय के समक्ष पूर्ण रूप से पुष्टि की है तथा विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से की गई विस्तृत प्रतिपरीक्षा के दौरान भी उक्त गवाह की साक्ष्य में ऐसा कोई विरोधाभास नहीं आया है जिसके आधार पर उक्त गवाह की साक्ष्य पर अविश्वास किया जा सके। बचाव पक्ष द्वारा परिवादी पी.डब्ल्यू.–1 डालनाथ को दौराने प्रतिपरीक्षण इस आशय का कोई सुझाव नहीं दिया गया है कि दिनांक 05.06.2015 को अभियुक्त द्वारा परिवादी से परिवाद में वर्णित राशि प्राप्त ना की हो। इस प्रकार न्यायालय के विनम्र मत में परिवादी न्यायालय के समक्ष स्वयं व अभियुक्त के मध्य हुए संव्यवहार को साबित करने में पूर्ण रूप से सफल रहा है।

हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त का मुख्य रूप से यह बचाव रहा है कि परिवादी द्वारा बैंक में उसका खाता खुलवाया गया था तथा उसकी चैक बुक परिवादी ने अपने पास ही रख ली थी, जिसमें से चैक निकालकर प्रश्नगत चैक का परिवादी द्वारा दुरूपयोग कर हस्तगत प्रकरण झूठे आधारों पर उसके विरुद्ध पेश किया गया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि अभियुक्त द्वारा उक्त प्रतिरक्षात्मक बचाव के संबंध में किसी प्रकार की कोई संपुष्टिकारक मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश नहीं की है। अपने उक्त प्रतिरक्षात्मक बचाव को न्यायालय के समक्ष साबित करने हेतु जो सर्वोत्तम साक्ष्य अभियुक्त न्यायालय के समक्ष ला सकता था, वह बैंक खाता खुलवाते समय व चैक बुक प्राप्ति बाबत् बैंक रजिस्टर को तलब करवाकर प्रदर्शित करवा सकता

था तथा बैंक के संबंधित अधिकारी को भी न्यायालय के समक्ष पेश कर परीक्षित करवाने बाबत पूर्णितया स्वतंत्र था, परंतु अभियुक्त द्वारा अपने प्रतिरक्षात्मक बचाव के संबंध में पत्रावली पर किसी प्रकार की कोई संपुष्टिकारक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। अगर, क्षण भर के लिए अभियुक्त द्वारा अपनी प्रतिरक्षा में प्रस्तुत की गई कहानी पर विश्वास भी कर लिया जावे तो भी यहां यह उल्लेखनीय है कि जहां अभियुक्त अपनी सम्पूर्ण चैक बूक परिवादी के पास होने का कथन करते हुए, परिवादी द्वारा चैक का दुरूपयोग करने का कथन करके आ रहा है, वहां ऐसी स्थिति में सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अवश्य ही चैक बुक के शेष चैकों का पैमेंट स्टॉप करवाता व ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध शेष चैकों का भी दूरूपयोग होने का अंदेशा करते हुए धोखाधड़ी का भी मुकदमा दर्ज करवाता, परंतु हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त द्वारा अपनी बैंक को शेष चैकों का पैमेंट स्टॉप करवाने बाबत् किसी प्रकार का कोई प्रार्थना पत्र बैंक में पेश किया गया हो तथा अभियुक्त के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई धोखाधड़ी का प्रकरण संस्थित करवाया गया हो, ऐसा कोई भी तथ्य बचाव पक्ष द्वारा पेश नहीं किया गया है एवं ना ही इस आशय की कोई साक्ष्य बचाव पक्ष द्वारा न्यायालय के समक्ष पेश की गई है। परिवादी द्वारा अभियुक्त के प्रश्नगत चैक प्रदर्श पी–1 के अलावा अन्य चैक के संबंध में अन्य कोई मामला दर्ज करवाया हो या विचारणीय हो, ऐसा भी कोई तर्क बचाव पक्ष की ओर से नहीं रखा गया है। हालांकि, अभियुक्त डी.डब्ल्यू.–1 सुभाषचंद्र को दौराने प्रतिपरीक्षण चैक बुक व पास बुक के संबंध में डालनाथ के विरुद्ध कार्यवाही करने बाबत् प्रश्न किये जाने पर उसके द्वारा यह कथन किया गया है कि, उस दौरान वह कोर्ट में कार्यवाही करवाने गया तो उसने कहा कि राजीनामा कर लूंगा, लेकिन आगे उक्त गवाह द्वारा यह भी कथन किया गया है कि वह कोर्ट कितनी तारीख व साल को गया, उसे आज याद नहीं है। यहां यह उल्लेखनीय है कि, इस आशय का कोई लिखित राजीनामा किया गया हो, ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है तथा राजीनामा ना हो पाने की स्थिति में अभियुक्त उसके पश्चात् भी परिवादी के विरुद्ध कार्यवाही करवाने बाबत् पूर्णतः स्वतंत्र था, परंतु अभियुक्त द्वारा शेष चैकों के संबंध में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही आज दिनांक तक भी परिवादी के विरुद्ध संस्थित करवाई हो, ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं है। इसके अलावा अभियुक्त ने परिवादी द्वारा चैक का दुरूपयोग किये जाने

का कथन तो किया है, परंतु पत्रावली पर ऐसी कोई एफ.एस.एल. या विशेषज्ञ रिपोर्ट भी अभियुक्त द्वारा पेश नहीं की गई है, जिससे यह प्रकट हो कि परिवादी ने खाली चैक को भरकर या भरवाकर उसका दुरूपयोग किया हो। अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्त का उपरोक्त कथन संदेहास्पद प्रतीत होता है। यहां यह उल्लेलखनीय है कि स्वयं के खिलाफ कार्यवाही होने पर केवलमात्र यह कह देने से कि उसको परिवादी को कोई राशि अदायगी नहीं करनी और परिवादी ने उसके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है, ऐसा नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार बिना किसी संपुष्टिकारक साक्ष्य के अभियुक्त द्वारा न्यायालय के समक्ष रखा गया उक्त प्रतिरक्षात्मक बचाव केवल मात्र प्रकरण संस्थित किये जाने के बाद की सोच का परिणाम प्रकट होता है। इस प्रकार पत्रावली पर परिवादी की साक्ष्य पूर्ण रूप से अखण्डनीय रही है।

यहां यह भी उल्लेख करना आवश्यक होगा कि बचाव पक्ष की ओर से पेश कर परीक्षित करवाये गये गवाहान डी.डब्ल्यू.–2 इंद्राज व डी.डब्ल्यू.–3 विजय सिंह द्वारा भी अपनी मुख्य परीक्षा में एक स्वर में यह कथन किये गये हैं कि, डालनाथ ने उनका भी खाता खुलवाया था और उनकी पास बुक व चैक बुक भी अपने पास रख ली थी तथा उन्हें डर लग रहा है कि सुभाष पर डालनाथ ने मुकदमा किया, उनकी चैक बुक भी डालनाथ के पास है, वह कभी उनके ऊपर भी मुकदमा कर सकता है। इस संबंध में यहां यह उल्लेखनीय है कि, उक्त गवाहान द्वारा भी अपनी पास बुक परिवादी के पास होने के संबंध में स्पष्ट कथन किये हैं, अतः उक्त गवाहान को यह स्पष्ट अंदेशा है कि परिवादी डालनाथ उनके चैक का भी दूरूपयोग कर सकता है किंतु उक्त दोनों गवाहान द्वारा आज दिनांक तक परिवादी के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई कार्यवाही की गई हो अथवा अपनी चैक बुक के चैकों का पैमेंट स्टॉप करवाने बाबत् बैंक में प्रार्थना पत्र दिया हो, ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं है। बल्कि, उक्त दोनों ही गवाहान दौराने प्रतिपरीक्षण एक स्वर में यह कथन करके आ रहे हैं कि उनके द्वारा डालनाथ के खिलाफ उनके चैक रखने बाबत् फौजदारी व कोर्ट में अन्य कोई कार्यवाही नहीं कर रखी है। जहां उक्त गवाहान द्वारा उल्लेखित अनुसार, उन्हें इस तथ्य का ज्ञान हो गया था कि परिवादी द्वारा अभियुक्त सुभाषचंद्र के विरुद्ध चैक का मामला दर्ज करवा दिया था तथा जहां उन्हें यह अंदेशा था कि परिवादी उनके विरुद्ध भी झूठा मामला दर्ज

करवा सकता है, वहां आज दिनांक तक सब कुछ जानते हुए भी परिवादी के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं करना, ना केवल प्रकृति के सामान्य अनुक्रम के विपरीत प्रकट होता है, बल्कि उनके द्वारा न्यायालय के समक्ष पेश की गई कहानी को स्वतः ही संदेह के घेरे में डाल देता है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि उपरोक्त दोनों गवाहान की साक्ष्य किसी प्रकार से विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है।

17. परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 118 व 139 के अन्तर्गत जो उपधारणा परिवादी के पक्ष में की जाती है, खण्डनीय प्रकृति की होती हैं। विश्वसनीय साक्ष्य पेश कर अभियुक्त परिवादी के पक्ष में की गई उपधारणा का खण्डन कर सकता है, परन्तु बिना किसी दस्तावेजी या सम्पोषक साक्ष्य के अभियुक्त द्वारा किये गये उपर्युक्त कथनों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। उपधारणाओं का खण्डन करने के लिए इनकार किया जाना पर्याप्त नहीं है बल्कि साक्ष्य प्रस्तुत की जानी चाहिए। परिवादी से विस्तृत रूप से प्रतिपरीक्षा किये जाने के उपरान्त भी परिवादी के साक्ष्य में कोई विरोधाभास या संदेह प्रकट करने वाला तथ्य प्रकट नहीं हुआ है, जिससे परिवादी के साक्ष्य पर विपरीत प्रभाव पड़े। हस्तगत प्रकरण में परिवादी की प्रतिपरीक्षा के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि परिवादी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं किया जिससे उसके परिवाद और मुख्य परीक्षा में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित कथनों का खण्डन होता हो। अभियुक्त द्वारा अपने बचाव में जो कहानी पेश की है उसके सम्बन्ध में पत्रावली पर परिवादी की प्रतिपरीक्षा में और परिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर ऐसा कोई तथ्य या साक्ष्य प्रकट नहीं किया है, जिससे परिवादी का परिवाद संदेहास्पद प्रकट हो और अभियुक्त के बचाव में ली गई कहानी की ताईद होती हो। परिवादी के पक्ष में की गई उपधारणाएं अन्तर्गत धारा 118 व 139 परक्राम्य विलेख अधिनियम पूर्ण रूप से ठोस एवं अखण्डित रही। अतः परिवादी के कथनों तथा परिवादी के पक्ष में की गई उपधारणाओं से यह तथ्य सुस्थापित हुआ है कि अभियुक्त द्वारा विवादित चैक प्रदर्श पी–1 परिवादी को उसके द्वारा दी गई उधार राशि की अदायगी हेतु प्रदान किया गया था। अतः विचारणीय बिन्दू 'A' तथा 'B' परिवादी के पक्ष में तथा अभियुक्त के विपक्ष में निर्णित किए जाते हैं।

18. विचारणीय बिन्दू 'C' का जहां तक संबंध है तो इस संबंध में पत्रावली पर आई साक्ष्य के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि परिवादी ने अपने परिवाद व शपथ पत्र में कथन किया है कि उसने अपने अधिवक्ता के मार्फत एक रजिस्टर्ड नोटिस अभियुक्त के पते पर दिनांक 24.07.2015 को भिजवाया, जो अभियुक्त को प्राप्त हो गया। पत्रावली में संलग्न नोटिस प्रदर्श पी–4 के अवलोकन से स्पष्ट है कि नोटिस प्रदर्श पी–4 पर अभियुक्त का परिवाद में वर्णित पता अंकित है। परिवादी द्वारा अभियुक्त के ज्ञात अंतिम पते पर रजिस्टर्ड नोटिस प्रेषित करना तथा उक्त नोटिस अभियुक्त को प्राप्त होना जाहिर किया है, जिसकी पुष्टि रजिस्टर्ड डाक रसीद प्रदर्श पी–5 व डाक प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी–6 से होती है। जहां तक, अभियुक्त को परिवादी द्वारा प्रेषित नोटिस प्राप्त होने का प्रश्न है तो, इस संबंध में स्वयं अभियुक्त डी.डब्ल्यू.–1 सुभाषचंद्र दौराने प्रतिपरीक्षण यह स्पष्ट कथन करता है कि इस मुकदमें की जानकारी कब हुई दिनांक उसे याद नहीं है लेकिन उसे एक नोटिस मिला था, उसे नोटिस मिलने के बाद वह डालनाथ के घर गया और कहा कि किस चीज का मुकदमा किया है। इस प्रकार स्वयं अभियुक्त के कथनों से स्पष्ट है कि उसे परिवादी द्वारा प्रेषित नोटिस प्राप्त हुआ था। प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी–6 पर अभियुक्त के भाई इंद्राज के हस्ताक्षर अंकित है, जिसके बाबत् स्वयं डी.डब्ल्यू.–2 इंद्राज अपनी साक्ष्य में यह स्पष्ट कथन करता है कि, घर पर एक नोटिस आया था, तब सुभाष घर पर नहीं था तब उसने एक साईन किया था, फिर वे डालनाथ के घर पर गये और कहा कि क्या बात है। इस प्रकार स्वयं अभियुक्त व उसके भाई इन्द्राज द्वारा उन्हें नोटिस प्रदर्श पी–4 प्राप्त होने बाबत् स्पष्ट कथन किये हैं। अभियुक्त का पत्रावली पर ऐसा कोई बचाव नहीं रहा है कि परिवादी द्वारा प्रेषित विधिक नोटिस प्रदर्श पी–4 उसे प्राप्त ना हुआ हो। इससे यह स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण में परिवादी ने अभियुक्त को नोटिस विधि के प्रावधानों के अनुसार प्रेषित किया, जिसकी तामील अभियुक्त पर सम्यक रूप से साबित है। अतः परिवादी उक्त विचारणीय बिन्दु को भी अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहा है। इस प्रकार उपरोक्त साक्ष्य के विवेचन के उपरान्त विचारणीय बिन्दू 'C' परिवादी के पक्ष में और अभियुक्त के विपक्ष में निर्णीत किया जाता है।

19. विचारणीय बिन्दू 'D' का जहां तक संबंध है कि परिवादी पक्ष द्वारा समयावधि के अंदर न्यायालय में परिवाद पेश किया या नहीं, तो इस संबंध में विद्वान्

अधिवक्ता अभियुक्त का कोई ऐतराज नहीं रहा है। अतः उक्त विचारणीय बिन्दू 'D' अभियुक्त के विपक्ष में तथा परिवादी के पक्ष में निर्णीत किया जाता है।

20. ऐसे में न्यायालय के मत में परिवादी पक्ष यह संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है कि, 'अभियुक्त की परिवादी के साथ जान–पहचान होने के कारण अभियुक्त ने परिवादी से राशि 1,50,000/– रुपये नगद उधार प्राप्त की थी, जिसकी अदायगी पेटे अभियुक्त ने परिवादी को एक चैक संख्या 009733 दिनांकित 11.07.2015, राशि 1,50,000/– रुपए बैंक – भारतीय स्टेट बैंक, शाखा मैन मार्केट, चूरू का अपने हस्ताक्षर कर परिवादी को दिया, उक्त चैक परिवादी द्वारा आहरण हेतु बैंक में पेश करने पर "Funds Insufficient" की टिप्पणी के साथ अनादरित हो गया, जिसकी सूचना परिवादी द्वारा दिनांक 24.07.2015 को जरिए रजिस्टर्ड डाक द्वारा करने पर भी अभियुक्त ने विधि द्वारा विहित अवधि में चैक मे वर्णित राशि का भुगतान नहीं किया एवं परिवादी पक्ष द्वारा समयावधि के अन्दर न्यायालय में परिवाद पेश किया।'

21. न्यायालय के विनम्र मत में अभियुक्त धारा 118 व 139 परक्राम्य लिखत अधिनियम की उपधारणाओं को खंडित करने में असफल रहा है। ऐसे में अभियुक्त को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के आरोप में दोषसिद्ध किया जाना न्यायोचित पाया जाता हैं।

– आदेश –

22. फलतः **अभियुक्त सुभाषचंद्र पुत्र केसराराम, निवासी नायकों का बास, ग्राम सोमासी, पोस्ट झारीया तहसील व जिला चूरू (राज.) को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम में एतद्द्वारा दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।** अभियुक्त की नियमित उपस्थिति बाबत् पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किए जाते है।

(निधि बेनीवाल, RJS)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरदारशहर,
जिला चूरू (राज.)

सजा के बिन्दू पर

23. सजा के बिन्दू पर उभय पक्षकारान को सुना गया। अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता का यह कथन रहा है कि अभियुक्त 2015 से अन्वीक्षा भुगत रहा है, जिस दौरान उसे अत्यधिक शारीरिक, मानसिक व आर्थिक प्रताड़ना हुई है। अतः अभियुक्त के प्रति नरमी का रूख अपनाते हुए उसे परिवीक्षा का लाभ दिये जाने का निवेदन किया। इसके जवाब में अधिवक्ता परिवादी ने अभियुक्त को विधि अनुसार दंडित किए जाने का निवेदन किया।

सुना गया। पुनः संपूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान में चैक अनादरण के मामलों में हो रही अभिवृद्धि और दैनिक जीवन में व्यक्तिगत तथा व्यापारिक एवं आर्थिक जगत में चैक के माध्यम से किये गये संव्यवहार की विश्वसनीयता को बरकरार रखने के लिए अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

– दंडादेश –

24. अतः **अभियुक्त सुभाषचंद्र पुत्र केसराराम, निवासी नायकों का बास, ग्राम सोमासी, पोस्ट झारीया तहसील व जिला चूरू (राज.) पर अपराध अंतर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप छः माह का साधारण कारावास एवं 3,00,000/– रुपए की प्रतिकर राशि अधिरोपित की जाती है। अदम अदायगी उक्त प्रतिकर राशि अभियुक्त 30 दिवस का साधारण कारावास अतिरिक्त रूप से भुगतेगा।** अभियुक्त द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में व्यतीत की गयी अवधि धारा 428 दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत उसकी मूल सजा में नियमानुसार समायोजित की जाए। अभियुक्त द्वारा प्रतिकर राशि 3,00,000/– रुपए न्यायालय में जमा करवाए जाने व अपीलावधि व्यतीत होने पर परिवादी को नियमानुसार प्रतिकर राशि क्षतिपूर्ति स्वरूप अदा की जाए। अभियुक्त का सजा वारंट तुरंत तैयार हो। निर्णय व दंडादेश की एक प्रति अभियुक्त को निःशुल्क प्रदान की जाए।

अपील की अपेक्षा के अध्याधीन, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437(क) के अंतर्गत छः माह की अवधि के लिए अभियुक्त माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने हेतु राशि 10,000/– रुपए का व्यक्तिगत् बंध–पत्र एंव इसी राशि की एक प्रतिभू, इस न्यायालय में प्रस्तुत करेगा।

(निधि बेनीवाल, RJS)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरदारशहर,
जिला चूरू (राज.)

25. निर्णय एवं दण्डादेश आज दिनांक 30.03.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(निधि बेनीवाल, RJS)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरदारशहर,
जिला चूरू (राज.)